

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेलपथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 29/01/2026

विषय— वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि ₹ 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि ₹ 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) अर्थात् कुल राशि ₹ 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड़ अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि ₹ 5,51,00,000/- एवं ₹ 3,67,33,334/- अर्थात् कुल राशि ₹ 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र राज्य आयुष समिति को उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्राक—F.No.C-281 दिनांक—04.08.2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में कुल केन्द्रांश राशि ₹ 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र के व्यय का Mother Sanction प्राप्त हुआ है।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य आयुष समिति के पत्राक—530 (SASB), दिनांक—21.08.2025 के द्वारा प्रेषित माग पत्र के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय पत्राक—352(7), दिनांक—06.10.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत सामान्य घटक अन्तर्गत केन्द्रांश मद की राशि ₹ 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) में से ₹ 19,79,91,700/- (रूपये उन्नीस करोड़ उनासी लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से ₹ 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) में से ₹ 13,19,94,466/- (रूपये तेरह करोड़ उन्नीस लाख चौरानबे हजार चार सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹ 32,99,86,166/- (रूपये बत्तीस करोड़ निन्धानबे लाख छियासी हजार एक सौ छियासठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि ₹ 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से ₹ 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹ 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड़ अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि ₹ 5,51,00,000/- एवं ₹ 3,67,33,334/- अर्थात् कुल राशि ₹ 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्राक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित रकीमो के राफल क्रिया-व्यय हेतु अधिसूचित रकीमो को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- उक्त परिप्रेक्ष्य मे वित्तीय वर्ष 2025-26 मे केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप मे SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु0 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रु0 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) मात्र अर्थात कुल राशि रु0 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड़ अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एव राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि रु0 5,51,00,000/- एवं रु0 3,67,33,334/- अर्थात कुल राशि रु0 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड़ अठारह लाख तैतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र के व्यय के निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य आयुष समिति के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप ही किया जायेगा।

6- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.C-281 दिनांक-04.08.2025 द्वारा प्राप्त राशि एवं केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की राशि को जोड़ते हुए कुल राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.No	Budget Head	Central Share	State Shares	Total Amount
1	3601-06-101-050231	7,22,67,100	4,81,78,066	12,04,45,166
2	3601-06-101-050235	12,57,24,600	8,38,16,400	20,95,41,000
3	3601-06-789-030231	3,00,00,000	2,00,00,000	5,00,00,000
4	3601-06-789-030235	2,00,00,000	1,33,33,334	3,33,33,334
5	3601-06-796-030231	32,00,000	21,33,334	53,33,334
6	3601-06-796-030235	19,00,000	12,66,666	31,66,666
	Total-	25,30,91,700	16,87,27,800	42,18,19,500

7- वर्तमान मे SC एव ST घटक के अतर्गत उपबधित राशि से बकाया केन्द्रांश एव राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा.-

(i) केन्द्रांश मद :-

➤ मांग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधो सबधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु0 18,00,00,000/-मे से रु0 5,00,00,000/- (रूपये पाँच करोड़) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

➤ मांग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतिया, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों सबधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु0 2,50,00,000/-मे से रु0 51,00,000/- (रूपये इक्कावन लाख) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

(ii) राज्यांश मद :-

राज्यांश मद की राशि अधोलिखित केन्द्रांश मद के विपत्र कोड मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा। मांग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतिया, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों सबधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु0 18,00,00,000/-मे से रु0 3,33,33,334/- (रूपये तीन करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

➤ मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतिया, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 2,50,00,000/-मे से रु० 34,00,000/- (रूपये चौतीस लाख) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

8- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेसी राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

9- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य आयुष समिति भारत सरकार एव वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

10- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एव Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

11- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	SNA SPARSH खाता का नाम	SNA SPARSH खाता संख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176BrNAM9158, Reserve Bank Of India, Patna	01585501193

12- राज्य आयुष समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा नियमानुसार Form GFR12C में भारत सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

13- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि(2) दिनांक- 17.04.98, 2880/वि(2) दिनांक-06.05.2006 एव 2938/वि(2) दिनांक- 08.04.2008 एव राज्यादेश संख्या- 256/वि० दिनांक 26.02.2019, 732/वि० दिनांक-31.07.2019, 1081/वि० दिनांक-11.12.2019 एव 12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

14- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- 7/रा०आ०मि०-39-01/2021 के पृष्ठ- 77 /टि० पर प्राप्त है।


15- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

17- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18- यह मात्र राज्यादेश है, एतदसंबंधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शम्भु शरण)

सरकार के अपर सचिव

Heera

ज्ञापांक- सं०सं०-7/रा०आ०मि०-39-01/2021-52(7A)/स्वा०, पटना, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-16, स्वास्थ्य विभाग/वित्त प्रबंधक, राज्य आयुष समिति, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Heur